न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 12 /2019 जिला सीकर ।

1. सरदारा राम पुत्र मुकुन्दाराम
2. भंवर लाल पुत्र मुकुन्दाराम
3. सांवरमल पुत्र मुकुन्दाराम
4. बन्नाराम पुत्र मुकुन्दाराम
   समस्त जाति मीणा, निवासी मीणों की ढाणी, ग्रम गौरिया, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।
5. हीरा राम पुत्र खागाराम
6. बनवारी पुत्र खागाराम
7. श्रवण पुत्र खागाराम
8. बनवारी लाल पुत्र मोहन लाल
9. नारूराम पुत्र मोहन लाल
10. रामप्रसाद पुत्र खागाराम
11. दुर्गाराम पुत्र खागाराम
12. शकर लाल पुत्र मोहन लाल
13. तन्नाराम पुत्र जवाराम राम
14. महावीर पुत्र राधाकिशन
15. जगदीश पुत्र राधाकिशन
16. रामकुवार पुत्र राधाकिशन
17. प्रभातराम पत्र राधाकिशन
    समस्त जाति मीणा, निवासी देपुर पोस्ट राजलिया, जिला नागौर ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर ।

मुख्य रेस्पोंडेन्ट

2. प्रेम देवी पत्नी गिरधारी लाल निवासी जाति मीणा निवासी मीणों की ढाणी ग्रम गौरिरया तहसील तारामगढ, जिला सीकर ।
3. सन्तोष दवी पत्नी किशोर
4. मंगेश कुमार पुत्र किशोर
5. सरबती देवी पत्नी मदन
6. गणेश राम पुत्र मदन
   समस्त जाति मीणा निवासी देपुर पोस्ट राजलिया जिला नागौर ।
7. जगदीश पुत्र ओंकार
8. राजेन्द्र पुत्र ओंकार
9. मून सिंह पुत्र ओंकार समस्त जाति राजपूत निवासी ग्रम भारीजा पोस्ट भारीजा जिला सीकर ।
10. ग्रम पंचायत जरिये सरपंच नरेन्द्र कुमार गुर्जर पंचायत भारीजा पंचायत समिति व तिहसील दांतारामगढ , जिला सीकर ।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर
दिनांक 6.4.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री बनवारी लाल शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सीताराम कुमावत

निर्णय

दिनांक – 11.11.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 16.4.2018 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 27.3.2019 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि तहसीलदार (भू.अ.) दांतारामगढ, जिला सीकर ने पत्र क्रमांकः भू.अ./17/1477 दिनांक 30.6.2017 द्वारा प्रस्ताव राजस्व ग्रम गोरिया, पटवार मण्डल भारीजा, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 300, 302, 304, 299, 155, 157, 158, 167, 168, 235,219,239, 121/1, 151, 152, 172 में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर ने प्रकरण संख्या रीडर/18/207–208 दिनांक 6.4.2018 से माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प. 3(2)राज–6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्र क्रमांकः राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.16 एवं राजस्व/2016/4328–53 दिनांक 21.11.16 की पालना में तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेश प्राप्त होने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार दांतारामगढ की अभिशंसा के अनुसार खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने आदेश दिये गये एवं तहसीलदार कों निर्देशित किया गया कि संलग्न् प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रश की निम्न खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में तरमीम की जावे । गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रहेगी एवं तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेश आदेश के भाग रहेगें:–

क्र. सं.	नाम पटवार मंडल	राजस्व ग्रम	खसरा नं	किस्म भूमि	रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबा (है.में)
1.	भारीजा	गौरिया	304	बा.2	0.0960
			302	बा.2	0.0760
			300	बा.2	0.0320
			299	बा.2	0.0672
			157	बा.2	0.0320
			155	बा.2	0.0080
			158	बा.2	0.0160
			167	बा.2	0.0640
			168	बा.2	0.1360
			234	बा.2	0.0320
			219	बा.2	0.1180
			239	बा.2	0.0640
			151	बा.2	0.0640
			152	बा.2	0.1472
			172	बा.3	0.1040

उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के उक्त निर्णय दिनांक 6.4.2018 के खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.4.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट के हाल खसरा नम्बर 219 में से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश से गैरमुमकीन रास्ता कायम किया है , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि आराजी खसरा नम्बर 219 में दर्ज खातेदार किशोर पुत्र मोहन व बमदन पुत्र मोहन की मृत्यु हो चुकी थी । विधिक रूप से मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया जाना विधिसम्यक नहीं है । उनका कहना था कि खसरा नम्बर 219 में तथाकथित प्रदत्त रास्ते का अंकन हो जाता है तो खसरा नम्बर 219 के टुकडे हो जायेगे तथा अपीलान्ट के मकानात प्रभावित होगें जिससे अपीलान्ट को काफी क्षति होगी । तहसीलदार की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर विवादित भूमि का बिना मौका देखे कुछ लोगों को नाजायज फायदा पहुँचाने के लिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिक नहीं है । उनका कहना था कि पडौसी सभी

खातेदारान के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये रास्ता है । अपीलान्ट व प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट की भूमि में से कभी कोई रास्ता न तो था और न ही वर्तमान में कोई रास्ता है । अपीलान्ट विवादित भूमि खसरा नम्बर 219 का रिकार्डेड खातेदार होने से प्रभावित व्यक्ति है जिसे अपने अधिकारों के लिये अपीलाधीन आदेश की अपील प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसका ज्ञान अपीलान्ट को समय पर नहीं हो सका था । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ व विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर विलम्ब को क्षमा किया किया जावे एवं अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील मीमों में लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि में सैटलमेन्ट पूर्व से मौके पर कदीमी रास्ता प्रचलित था जिसका ग्रम गौरिया व ग्रम दौलतपुरा के लोग उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं इसलिये तहसीलदार दंतारामगढ द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आरे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ को प्रेषित किये जिस कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने अपीलाधीन आदेश से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये हैं । उनका कहना था कि खसरा नम्बर 172 से खसरा नम्बर 304 तक रास्ते की लम्बाई करीब 3 किलोमीटर पर राज्य सरकार द्वारा नरेगा कार्यक्रम के तहत करीब 18.93 रूपये खर्च किये जाकर खसरा नम्बर 219 के अलावा अन्य सभी खसरा नम्बरों में ग्रेवड सडक का निर्माण किया जा चुका है । खसरा नम्बर 219 में प्रचलित रास्ते को अपीलान्ट द्वारा मनमानी करके अवरूद्ध कर रखा है । उनका कहना था कि दिनांक 30.6.2017 को अपीलान्ट व अन्य खातेदारान व ग्रमवासियों की मौजूदगी में मौके पर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी तथा तहसीलदार व सरपंच , पटवारी , गिरदावर द्वारा ग्रमवासियों व खातेदारान की मौजूदगी में प्रचलित रास्ते का मौका मुआयना करते हुये रास्ता प्रस्तावित किया गया था । रास्ता सैकडों वर्षो से प्रचलित व चालू है और आमजन के उपयोग में आ रहा है । खसरा नम्बर 219 के अलावा सभी खसरा नम्बरों का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होकर तरमीम हो चुकी है । अतः प्रचलित रास्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

सार्वजनिक व जनहित में कायम किया गया है । अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये मियाद के संबंध में लचिला रूख अपनाकर एवं अपीलान्ट विवादित भूमि का खातेदार होने से हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदात की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण मे विवाद तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर की अभिशंषा पर खातेदारों की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.4.2018 उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर ने पारित किया गया है। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 219 में से 0.1180 हैक्टेयर भूमि में से अपीलान्ट को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर बिये बिना ही गैर मुमकीन रास्ता कायम किया गया है। अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 219 का रेकार्डेड खातेदार होने से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति है जिसे बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही उसके अधिकारों के विपरीत पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी प्रभावित व हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही पारित किया है जो उचित एवं विधिक नहीं होने से अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 219 की हद तक निरस्त किये जाने योग्य है । तथा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 6.4.2018 अपीलान्ट की खातेदारी भूमि राजस्व ग्रम गौरिया खसरा नम्बर 219 रकबा 0.1180 हैक्टेयर की हद तक निरस्त किया जाकर उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परीपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 6.4.2018 अपीलान्ट की खातेदारी भूमि राजस्व ग्रम गौरिया खसरा नम्बर 219 रकबा 0.1180 हैक्टेयर की हद तक निरस्त किया जाता है एवं उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परीपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 11.11.2019 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर